Regarding need to provide compensation as per new land acquisition policy to farmers whose land was acquired for establishment of power plant by Thermal Power Corporation Limited in Bhandara, Maharashtra- laid

डॉ**.** प्रशांत यादवराव पडोले **(**भन्डारा**-**गोंदिया**) :** मैं सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के भंडारा जिले में किसानों के साथ हुए गंभीर अन्याय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । वर्ष 2008 से 2011 के बीच भंडारा थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मोहाड़ी तहसील के रोहाना सहित लगभग 15 गांवों की करीब 600 हेक्टेयर उपजाऊ कृषि भूमि 2640 मेगावाट की विद्युत परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी । इतने वर्षों बाद भी परियोजना शुरू नहीं हुई और यह अब परित्यक्त मानी जा रही है । किसानों को कम दर पर मुआवज़ा दिया गया तथा ग्राम सभा की सहमति और जन सुनवाई जैसे प्रावधानों का पालन नहीं हुआ । इससे किसानों की आजीविका प्रभावित हुई और वे आर्थिक संकट में फँस गए । भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 101 के अनुसार भूमि लौटाई जानी चाहिए । मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि या तो भूमि वापस की जाए या वर्तमान बाजार मूल्य पर उचित मुआवज़ा देकर किसानों को तत्काल राहत दी जाए ।